Anveshan (अन्वेषण): A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 5, Issue 1 – 2021
ISSN: 2581-4044

मानव तस्करीः रोकथाम एवं प्रयास

मनोज कुमार सिंह[1]

[1] *शोधार्थी, डॉ सी.वी. रमन युनिवर्सिटी, कोटा रोड़, बिलासपुर*

"मानव व्यापार मानवीय सम्मान को गहरा आघात है और मूलभूत मानवाधिकारों का हनन है। यह उन शास्वत मूल्यों का अपमान है जिन्हें सभी संस्कृतियों के लोग मानते हैं और जो मानव की आंतरिक प्रकृति में रचे बसे हैं।"

- 15, वेटिकन सिटी, पोप जान पाल द्वितीय, मई 2002

प्रस्तावना

महिलाओं और बच्चों का व्यापार एक घृणात्मक और हिंसक कार्य है और मौलिक मानवाधिकारों के साथ विश्वासघात है। हालांकि यह नया नहीं है और ऐसा पहले भी होता रहा है लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में नए आयामों के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष कम से कम 7 लाख लोग मानव व्यापार के शिकार बनते हैं। यह संख्या बढ़ रही है और इसमें महिलाएं तथा बच्चों की संख्या ज्यादा होती है।

ऐसी स्थिति में महिलाओं और बच्चों को ऐसी जोखिम वाली स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना चाहिए ताकि मानव व्यापार से वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। हम सबको अपनी सोच और नजरिया को इस प्रकार सुनिष्चित करना चाहिए ताकि महिलाएं और बच्चे आधुनिक समाज के इस आतंक से बचे रहें। इसके लिए मानव तस्करी का शिकार हुए महिलाओं और बच्चों को ढूंढकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना जरूरी है, साथ ही ये भी अनिवार्य है कि इस हिंसक कार्य पर पूरी तरह से रोक लग सके और मानव व्यापार की गिरफ्त में आए महिलाओं और बच्चों की संख्या में कमी आ सके।

अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मानव व्यापार एक उद्योग का रूप ले चुका है। यह उद्योग नशीली दवाइयों और हथियारों की तस्करी के उद्योग के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

चुका है। मानव व्यापार को बहुराष्ट्रीय संगठित अपराध के तौर पर देखा जा सकता है जिसका कारोबार अरबों डालर में हो रहा है।

एशियाई समाज की गरीबी, शिक्षा का अभाव, आर्थिक अवसरों की कमी, उपभोक्तावाद, लिंगभेद पितृसत्तात्मक समाज, स्थान परिवर्तन ऐसे कारण हैं जो महिलाओं को हाशिए पर धकेल रहे हैं और बच्चों के खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रहे हैं।

साहित्य समीक्षा

एशिया पार्टनरशिप फार ह्यूमन डेवलपमेंट (एपीएचडी) नाम की संस्था की तरफ से वर्ष 2007 में शान केली नाम के शोधार्थी ने इस विषय पर विस्तार से अपने शोध का वर्णन किया है। थाइलैंड देश की इस संस्था ने लिखा है कि आप और हम मानव तस्करी को रोक सकते हैं।

एपीएचडी इस स्थिति को लेकर काफी सचेत है और एशियाई महिलाओं एवं बच्चों को ऐसी जोखिम वाली स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना चाहता है ताकि व्यापार से अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। हमें हमारी सोच व नजरिया यह सुनिश्चित करना होगा ताकि एशियाई महिलाएं और बच्चे आधुनिक समाज के इस आतंक से बचे रहें। इसके लिए एपीएचडी का लक्ष्य महिलाओं एवं बच्चों के व्यापार के विरूद्ध पूरे पैनएशिया कार्यक्रम के जरिए व्यापार - की गिरफ्त में आने वाली महिलाओं एवं बच्चों की संख्या में पर्याप्त कमी लाना है।

डॉ जय नारायण पाण्डेय की लिखी हुयी "**भारत का संविधान**" किताब संविधान के मद्देनजर मानव तस्करी को समझने में मदद करती है। भारत में जितने भी कानून बने हैं वो संविधान के अनुरूप ही बने हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी की वजह से मानव अधिकार कैसे प्रभावित हो रहे हैं और इससे संबंधित विश्व में क्या प्रावधान किए गये हैं इसका प्रावधान **डॉ एच ओ अग्रवाल** की "**अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार**" किताब में विस्तार से दिया गया है।

इस पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के परम्परागत विषयों तथा उन सभी विकासों का विवेचन किया गया है, जो वर्तमान शताब्दी में हुए हैं। इस पुस्तक में विधि के नियमों तथा सिद्धान्तों

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

का संक्षेप में तथा सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जिससे विधि के छात्र तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी इन्हें स्पष्टतः समझने में सक्षम हो सकें। पुस्तक को लिखने में इसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

मानव तस्करी में ज्यादातर महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है इसलिए भारत में महिलाओं से संबंधित ऐसे कानून हैं जो इस अपराध को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। महिलाओं के अधिकार के संबंध में कानून की जानकारी के लिए **डॉ बसन्ती लाल बावेल** की "**महिलाएं एवं आपराधिक विधि**" का अध्ययन बेहद ही सटीक है।

लेखक कहते हैं कि विधायिका ने भी इन समस्याओं पर चिन्तन किया और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक कानून बनाये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक अभिसमय बने। इस पुस्तक में महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों का विस्तृत विवेचना किया गया है।

भारत में मानव तस्करी रोकने के लिए विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक संस्थाओं के प्रयास

उच्चतम न्यायालय

संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होता है। चूंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, अतः यह भी संभव है कि वे संविधान से सम्बन्धित उपबन्धों की व्याख्या अपने पक्ष में करें। संघीय व्यवस्था में शक्ति-विभाजन को बनाए रखने, संविधान के उपबन्धों की सही व्याख्या करने और विवादों को निष्पक्षता से निपटाने के लिए यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह कार्य उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है। संविधान के उपबन्धों की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने का प्राधिकार उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके द्वारा की गयी संविधान की व्याख्या से सभी आबद्ध होते हैं, इसलिए

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है।[1] उच्चतम न्यायालय न केवस संविधान का बल्कि नागरिकों के मूल अधिकारों का भी संरक्षक है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्थापना को भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय की 124 जिसे देश की साधारण विधि, उपबन्ध करता है। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय हैयों की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। यह सिविल और फौजदारी के मुकदमों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।

उच्च न्यायालय

राज्य न्यायपालिका राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर गठित होती है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में दिया गया है। अनुच्छेद 231(1) के तहत संसद दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।[2]

उच्चतम न्यायालय की तरह ही हर राज्य का प्रत्येक उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख-न्यायालय है और उन्हें ऐसे न्यायालयों की समस्त शक्तियां एवं अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 226 यह उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, सम्बन्धित राज्यों में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश का आदेश या रिट, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेरण रिट हैं, जारी करने की शक्ति होगी।[3]

[1] जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान (2011), सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं. 466
[2] जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान (2011), सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं. 535
[3] जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान (2011), सेंट्रल लॉ एजेंसी, पेज नं. 543

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

विधि आयोग

भारतीय इतिहास में विधि सुधार पिछले 300 वर्षों के दौरान सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाता रहा है। उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक के बाद से सरकार द्वारा समयसमय पर - विधायी सुधारों की आवश्यकता महसूस होने पर विधि आयोगों का गठन किया गया। यह एक 'गैरसांविधिक निकाय-' है जो विधि एवं न्याय मंत्रालय के करीबी समन्वय में तथा उसके सामान्य निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है।

भारत में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1834 में स्थापित किया गया था। इसके उपरांत वर्ष 1853, 1861 तथा 1879 में क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विधि आयोगों का गठन किया गया। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम इत्यादि इन पहले चारों विधि आयोगों के ही परिणाम हैं।[4]

स्वतंत्रता के बाद विरासत में मिले कानूनों में संशोधन और उन्हें अद्यतन करने की मांग और भी प्रासंगिक हो गई। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 1955 में अटॉर्नी जनरल श्री एमसीतलवाड़ की अध्यक्षता में .सी. स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। तब से अब तक तीनवर्षीय- कार्यकाल वाले कुल 20 विधि आयोग गठित किए गए, जिनमें से 20वें विधि आयोग की कार्यावधि 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हुई। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 21वें विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान हैं।

विधि आयोग पुराने कानूनों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें निरसित करने या विधियों में संशोधन करने का सुझाव दे सकती है। विधि आयोग गरीबों की सेवा में विधि एवं न्याय प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।विधि आयोग की रिपोर्टों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से सलाह के साथ विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है और इन्हें समयसमय पर- संसद को प्रस्तुत किया जाता है। अब तक 20 विधि आयोगों द्वारा विभिन्न विषयों पर कुल 262 रिपोर्टें सौंपी जा चुकी हैं।

[4] Accessed from http://www.ssgcp.com/2016/21वां-विधि-आयोग/ 24/04/2018

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

Vol. 5, Issue 1 – 2021
ISSN: 2581-4044

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है।यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।[5] राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है, साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गालीगलौज को- भी गंभीरता से लिया है।

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अप्रवासी भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है। आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षापायों की जांच और परीक्षा करना है। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यावयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है।

इसके अलावा संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता, अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना है। शिकायतों पर विचार करने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना इनके प्रमुख कार्य हैं।

[5]Accessed from http://ncw.nic.in/frmAboutUS.aspx on 24/04/2018

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

साथ ही कारागार, रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, आदि का निरीक्षण करना और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करना इनके अधिकारों में शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षोपायों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना संसद के एक अधिनियम (दिसम्बर 2005) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियां कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हों, जैसाकि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (कन्वेशन) में प्रतिपादित किया गया है। बालक को शून्य से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।

आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्श की परिकल्पना करता है, जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रवाहित होता है, जिसके साथ राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर पारिभाषित प्रतिक्रियाएं भी शामिल है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं और मजबूतियों को भी ध्यान में रखा जाता है प्रत्येक बालक तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से, इसमें समुदायों तथा कुटुम्बों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि क्षेत्र में हासिल किए गए सामूहिक अनुभव पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार, आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेन्द्रीकरण के लिए सम्मान तथा इस दिशा में वृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।[6]

[6] Accessed from http://ncpcr.gov.in/index1.php?lang=2&level=0&linkid=51&lid=965 on 23/04/2018

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन की गई थी। आयोग में कुल आठ सदस्य होते हैं- एक अध्यक्ष, एक वर्तमान अथवा पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक वर्तमान अथवा भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले कोई दो सदस्य तथा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचितजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।[7]

राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की संस्तुति पर किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य थे- लोक सभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, सदन में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उप-सभापति। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के अंतर्गत, मानव अधिकारों के उल्लंघन अपराध सम्बन्धी विवादो के त्वरित निपटान हेतु मानव अधिकार न्यायालय का गठन किया जा सकता है।[8]

सिविल संहिता प्रक्रिया, 1908 के अधीन आयोग को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग अपने समक्ष प्रस्तुत किसी पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर किसी याचिका पर स्वयं सुनवाई एवं कार्यवाही कर सकता है।

इसके अतिरिक्त आयोग न्यायालय की स्वीकृति से न्यायालय के समक्ष लम्बित मानवाधिकारों के प्रति हिंसा सम्बन्धी किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। आयोग की यह शक्ति प्राप्त है कि वह सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्वसूचित करके किसी भी कारागार का निरीक्षण कर सके अथवा परिस्थितियों के अनुसार अन्य नौकरशाहों को कारागारों के

[7] Accessed from http://www.vivacepanorama.com/national-human-rights-commission/ on 23/04/2018

[8] मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (बेयर एक्ट)

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

निरीक्षण सम्बन्धी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर दे। आयोग द्वारा मानवाधिकारों से सम्बन्धित संधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने सम्बन्धी आवश्यक संस्तुतियां भी की जाती हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोग

मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम (1993), के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग बना है। अधिनियम की धारा 21 राज्य को एक निकाय का गठन करने की शक्ति प्रदान की गयी है जो राज्य मानव अधिकार आयोग कहलाएगा।[9] एक राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 में एक अध्यक्ष के साथ तीन सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

राज्य मानवाधिकार आयोग के सीमित अधिकार होते हैं और इसकी कार्यप्रकृति केवल सलाहकार की है। आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का अधिकार नहीं होता है। यहां तक की पीड़ित को आर्थिक राहत के साथ यह किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं कर सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफ़ारिशें राज्य सरकार या प्राधिकारी पर बाध्य नहीं हैं, लेकिन आयोग को एक महीने के भीतर उसकी सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

1. अग्रवाल, एच.ओ. डॉ; अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, 14वां संस्करण, 2015, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
2. बावेल, बसन्ती लाल, डॉ; अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, दूसरा संस्करण, 2014, युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि., जयपुर।
3. बावेल, बसन्ती लाल, डॉ; भारतीय दंड संहिता, 1860, 21वां संस्करण, सेंट्रल ला एजेंसी।

[9]मानव अधिकारसंरक्षण अधिनियम, 1993 (बेयर एक्ट)

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

4. बावेल, बसन्ती लाल, डॉ; महिलाएं एवं आपराधिक विधि, प्रथम संस्करण, 2011, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
5. पांडेय, जय नारायण, डॉ; भारत का संविधान, 44वां संस्करण 2011, सेंट्रल ला एजेंसी।
6. भारत का संविधान, 1949, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर, 2017।
7. भारतीय दंड संहिता, 1860, पुस्तक सदन प्रकाशन, इलाहाबाद, 2018।
8. एशिया पार्टनरशिप फार ह्यूमन डेवपलमेंट, 2017, बैंकाक, थाईलैंड।
9. हम और हमारा संघर्ष, हांगकांग।
10. https://hindi.mapsofindia.com/my-india/india/human-trafficking-india-must-end.
11. https://www.youthkiawaaz.com/2016/07/human-trafficking-in-chhattisgarh/.
12. http://thewirehindi.com/27041/increase-in-human-trafficking-in-india-says-ncrb-report/.
13. https://www.bbc.com/hindi/india/2016/05/160531_trafficking_bill_za.
14. https://www.merisaheli.com/human-trafficking-inhuma-trade-of-humans/.
15. http://uphome.gov.in/operation-smile-hi.htm.
16. https://www.ewellnessexpert.com/hindi_blog/92/manav-taskari-se-peedit-vyakti-ki-sahayta-kaise-karein.
17. www.unifem.org.
18. https://hindi.news18.com/news/nation/government-cabinet-decision-hearing-human-trafficking-anti-human-trafficking-1288609.html.
19. https://hindi.mapsofindia.com/my-india/india/human-trafficking-india-must-end.
20. http://hi.vikaspedia.in/social-welfare.
21. http://ec2-34-201-52-39.compute-1.amazonaws.com/maanv-tskrii-riportt-2017-bhyaavh-aankdddhe/.
22. http://www.ssgcp.com/2016/21वां-विधि-आयोग/.
23. http://ncw.nic.in/frmAboutUS.aspx.
24. http://ncpcr.gov.in/index1.php?lang=2&level=0&linkid=51&lid=965.
25. http://www.vivacepanorama.com/national-human-rights-commission/.

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.